UPMZ010029482026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3356 सन 2026

अशोक पुत्र सूरजराम मीना
निवासी गांव दोपुर थाना बस्सी
जनपद जयपुर राजस्थान

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—65 सन 2026
धारा— 318 (4), 303 (2), 61 (2)
भारतीय न्याय संहिता
थाना— नई मण्डी
जनपद— मुजफ्फरनगर

10.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से थाना नई मण्डी के अपराध संख्या—65 सन 2026 धारा— 318 (4), 303 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि धारा 318 (4), 303 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध एक साथ गठित नहीं हो सकता है तथा जिन धाराओं में आवेदक/अभियुक्त का रिमांड लिया गया है उनमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है। यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी 11 दिन विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह सह अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सूर्या व भूप सिंह से दिखायी गयी है तथा सह अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का नाम बाद में प्रकाश में आये सह अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सूर्या व भूप सिंह के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 19:20:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का खारजा आदेश तथा सह अभियुक्तगण के जमानत संबंधी आदेशों की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की ब्लूडार्ट कंपनी के माध्यम से पार्सल मंगवाये तथा डिलीवरी बॉय को बातों में लेकर उन पार्सल को लेकर उसमें से चुपचाप सोने के सिक्के निकालकर वापस पहले जैसा पैक कर दिया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्तगण के बयान से प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी। परंतु यह स्वीकार किया गया है कि सह अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सूर्या व भूप सिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा विनोद पाल सुपरवाईजर एमएस वाटर मेलन द्वारा घटना दिनांकित 31.01.2026 समय 00.00 बजे के संबंध में दिनांक 11.02.2026 को समय 21.53 बजे थाना नई मण्डी पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वह ब्लूडार्ट कोरियर के जानसठ रोड मुजफफरनगर के कार्यालय में मैन पावर सप्लाई का काम करता है। जनवरी 30 और 31.01.2026 के बीच ब्लूडार्ट कोरियर के उपरोक्त कार्यालय पर अमेजन कंपनी के पांच प्रीपेड पार्सल जिनके अन्दर सोने के सिक्के थे जो लोकेश, आशूतोष व नीलम के नाम से गांधी कालौनी गली नम्बर 17 मुजफफरनगर के पते पर आये थे। उक्त पार्सलों को उसके कर्मचारी केशवपाल व जानूपाल द्वारा डिलीवरी के लिये ले जाया गया था। डिलीवरी से पूर्व भी लोकेश नामक व्यक्ति द्वारा उसके दोनों कर्मचारियों को अपने मोबाइर्ल्ल नम्बर 9696343959 द्वारा संपर्क करके टिकैत चौंक पर बुलाया गया था। टिकैत चौंक पर ही लोकेश नामक व्यक्ति द्वारा उसके दोनों कर्मचारियों को पांच पांच सौ रूपये देकर पांचो पार्सल ले लिये और लेने के बाद दस मिनट इंतजार करने के लिये कहा। दस मिनट के अन्दर ही पांचों पार्सल में से सिर्फ तीन पार्सलों में रखे सोने के सिक्के निकाल कर खाली पार्सल के डिब्बे हमारे दोनों कर्मचारियों को वापिस कर दिये। दोनों कर्मचारियों द्वारा कोई सूचना ब्लूडार्ट कार्यालय में नहीं दी गयी और जब ये रिफयूजल पार्सल अमेजन के बंगलौर स्थित वेयर हाउस पहुंचे तब इनके अन्दर खाली बॉक्स मिले और अन्दर रखे सोने के सिक्के गायब थे। लोकेश नामक व्यक्ति उसके कर्मचारियों जानुपाल से काफी दिनों से संपर्क में था। इसने दोनों कर्मचारियों को लालच देकर लगभग 5,27,152/—रूपये की ठगी की गयी है। आज उस व्यक्ति द्वारा

अपने मोबाईल नम्बर द्वारा जानूपाल व केशवपाल से संपर्क करके वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की गयी।

5. अतः अभियोजन कथानक अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण आपराधिक षडयंत्र के तहत ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी के माध्यम से सोने के सिक्के व बिस्किट मंगवाकर डिलीवरी बॉय के साथ धोखाधडी करके पार्सल से निकालकर उन्हें चोरी कर ले जाने का है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम सह अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सूर्या व भूप सिंह के बयानों से प्रकाश में आना कहा जाता है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। सह अभियुक्तगण दिनेश कुमार, सूर्या एवं भूप सिह की जमानत दिनांक 10.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। संबधित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 20.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मददेनजर गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्त **अशोक पुत्र सूरजराम मीना** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

(1) आवेदक/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा, –''आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा।

इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 10.07.2026

sv